

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल०-63/2024-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डॉ० सच्चिदानन्द राय, चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के निम्नांकित अवधियों को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1117(25), दिनांक-22.05.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180, 230 एवं 248 के आलोक में निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

|      |                                    |   |                                                |
|------|------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| (i)  | दिनांक-29.01.2017 को               | - | कुल-01 (एक) उपार्जित अवकाश के रूप में।         |
| (ii) | दिनांक-30.01.2017 से 03.07.2017 तक | - | कुल-155 (एक सौ पचपन) असाधारण अवकाश के रूप में। |

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-63/2024-

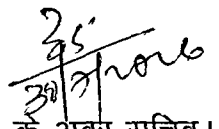
1851(2)

पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षक नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डॉ० सच्चिदानन्द राय, चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।  
1